प्रारुप– एक

(नियम 11 देखिये)

कार्यालय कलेक्टर एवं पदेन उप सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, कोरबा

अधिसूचना

भूमि अर्जन,पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत

क्रमांक 864 **/भू–अर्जन/2016/कोरबा, दिनांक** 20/01/2017

नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात :–

जिला	तहसील	ग्राम /नगर	क्षेत्रफल	लोक प्रयोजन का विवरण
कोरबा	करतला	चोरभठ्ठी	1.843 हेक्टेयर	चोरभठ्ठी – मदवानी मार्ग पर छिंदई नदी पर उच्चस्तरीय पुल एवं पहुँच मार्ग का निर्माण हेतु भू–अर्जन प्रकरण ग्राम, चोरभठ्ठी

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 23/01/2017 को समय 12:00 बजे से स्थान पंचायत भवन चोरभट्ठी नियत की गई है। प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :–

1	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	: चोरभठ्ठी – मदवानी मार्ग पर छिंदई नदी पर उच्चस्तरीय पुल एवं पहुँच मार्ग का निर्माण
2	प्रत्यक्ष रुप से प्रभावित परिवारों की संख्या	: 29 परिवार
3	अप्रत्यक्ष रुप से प्रभावित परिवारों की संख्या	: निरंक
4	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या	: निरंक
5	प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या	: निरंक
6	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	: हॉ
7	क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ?	: हॉ
8	परियोजना की कुल लागत	: **रुपये 271.16 लाख**
9	परियोजना से होने वाल लाभ	: परियोजना से यह मार्ग बारहमासी हो जावेगा, जिससे आस–पास के 11 ग्रामों के लगभग 12530 ग्रामवासी लाभांवित होगें।
10	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय	: प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये संभावित उपाय किये जा रहे है। इस हेतु अनुविभागीय अधिकारी (रा0) कोरबा को राशि रुपये 5.00 लाख का भुगतान चेक क्रमांक 110542 दिनांक 15.12.2016 के माध्यम से किया गया है।
11	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	: निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति /संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी /सुझाव देना हो, तो विहित तिथि /समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी।

(पी. दयानंद)
कलेक्टर
जिला कोरबा
एवं पदेन उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

पृ0क्रमांक / 865 / भू–अर्जन / 2017 कोरबा दिनांक 20/01 / 2017

प्रतिलिपिः–

1. सचिव, छ0ग0शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय नया रायपुर की ओर सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।
2. अनुविभागीय अधिकारी (रा0) एवं भू–अर्जन अधिकारी कोरबा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु मूल प्रकरण सहित अग्रेषित।
3. आयुक्त नगर पालिक निगम कोरबा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. नियंत्रक, शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय राजनांदगांव छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ। कृपया इसे राजपत्र भाग–1 में प्रकाशित कर एक प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करे।
5. कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण उपसंभाग कोरबा (छ0ग0) की ओर सूचनार्थ। कृपया अधिसूचना का प्रकाशन दो स्थानीय समाचार पत्र एवं स्थानीय क्षेत्र में प्रकाशन कराकर प्रकाशन की प्रति तत्काल अनुविभागीय अधिकारी (रा0) एवं भू–अर्जन अधिकारी कोरबा को उपलब्ध करावे।
6. प्रभारी अधिकारी (एन.आई.सी.) जिला कोरबा को सूचनार्थ। कृपया अधिसूचना को छ0ग0शासन राजस्व विभाग के वेबसाईट पर अपलोड करे।
7. तहसीलदार करतला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। अधिसूचना का प्रकाशन तहसील कार्यालय, अनुविभाग कार्यालय एवं नगर पालिक निगम में करवा कर रिपोर्ट भेजना एवं ग्राम में मुनादी कराना सुनिश्चित करे।
8. सचिव, ग्राम पंचायत चोरभट्टी तहसील करतला जिला कोरबा को सूचनार्थ। उक्त अधिसूचना का प्रकाशन पंचायत के सूचना पटल में चस्पा कराने एवं मनादी कराने की व्यवस्था कर सूचित करे।

(पी.दयानंद)
कलेक्टर
जिला–कोरबा
एवं पदेन उपसचिव
छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग